भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 807

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2020

एमएसएमई क्षेत्र में पूंजी संचार

807. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश विशेषकर कर्नाटक में एमएसएमई क्षेत्र गंभीर रूप से अल्प-पंजीकृत है और इसके अस्तित्व के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक और शेष देश में एमएसएमई क्षेत्र हेतु निधियों तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में पूंजी लगाने और इस क्षेत्र के लिए वित्त की उपलब्धता सुगम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज में छूट योजना, 59 मिनट लोन पोर्टल, ट्रेड रिसीबेवल छूट प्रणाली (ट्रेड्स) का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य मार्जिन मनी सब्सिडी, कोलेटरल मुक्त ऋण, लागत प्रभावी होना और तेजी से ऋण उपलब्ध कराना है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 01.01.2019 के परिपत्र द्वारा दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को मौजूदा ऋणों के एकबारगी पुनर्गठन की मंजूरी दी है। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं कर्नाटक राज्य में साथ-साथ पूरे देश में कार्यान्वित हैं।

****